भारतीय रिज़र्व बैंक
गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
केन्द्रीय कार्यालय
सेंटर 1, विश्व व्यापार केन्द्र
कफ परेड, कोलाबा
मुंबई 400 005

अधिसूचना सं.गैबैंविवि(नीप्र)003/जीएम(एएम)/2015 19 जनवरी 2015

भारतीय रिजर्व बैंक , जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए, बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन से 22 फरवरी 2007 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस.192/डीजी(वीएल)-2007 में अंतविष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियां स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनियां विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिजर्व बैंक) निदेश 2007 (इसके बाद इसे निदेश कहा जाएगा) को संशोधित करना आवश्यक है. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 (1934 का 2) की धारा 45 ञक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त निदेश को तत्काल प्रभाव से निम्नवत संशोधित करने का निदेश देता है यथा-

1. नया पैराग्राफ 23बी शामिल किया जाना- पैराग्राफ 23ए के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ शामिल किया जाए:

"बुनियादी संरचना क्षेत्र और महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए दीर्घावधि परियोजना ऋणों की लचीली संरचना

23बी. एनबीएफसी द्वारा बुनियादी संरचना क्षेत्र और महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए दीर्घावधि परियोजना ऋण की लचीली संरचना के लिए बैंकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट यथा संशोधित नियमों के अनुसार तथा इसे अनुबंध बी में प्रस्तुत किया गया है।"

(ए मंगलागिरी)
प्रभारी महाप्रबंधक

अनुबंध-बी

बुनियादी संरचना क्षेत्र और महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए दीर्घावधि परियोजना ऋणों की लचीली संरचना

1. बुनियादी संरचना/महत्वपूर्ण उद्योगों को दीर्घ परिपक्वता, जैसे 25 वर्ष वाले ऋणों को निम्नानुसार संरचित किया जा सकता हैः:

i. परियोजना की मूलभूत व्यवहार्यता सभी अपेक्षित वित्तीय और वित्तेतर मापदंडों के आधार पर स्थापित की जाएगी, विशेषतः ब्याज कवरेज अनुपात (ईबीआईडीटीए/ब्याज का बड़ा भुगतान (payout) जिसमें ऋण चुकाने की क्षमता और ऋण की अवधि के दौरान चुकौती करने के सामर्थ्य का उल्लेख किया गया हो;

ii. ऋण की दीर्घतर परिशोधन अवधि, जैसे 25 वर्ष (परियोजना का लाभप्रद जीवनकाल/रियायती अवधि के भीतर) में परिशोधन (परिशोधन कार्यक्रम) के साथ शेष ऋण का आवधिक पुनर्वित्तीयन (ऋण सुविधा का पुनर्वित्तपोषण), जिसकी अवधि समग्र परिशोधन अवधि के भीतर प्रत्येक पुनर्वित्त के साथ तय की जा सकती है, की अनुमति दी जाएगी;

iii. इसका अर्थ यह होगा कि परियोजना की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करते समय एनबीएफसी को व्यवहार्य परियोजना के रूप में परियोजना को स्वीकार करने की अनुमति दी जाएगी, जहां औसत कर्ज चुकौती कवरेज अनुपात (डीएससीआर) और अन्य वित्तीय और वित्तेतर मापदंड एक लंबी परिशोधन अवधि, जैसे 25 वर्ष (परिशोधन कार्यक्रम) के लिए स्वीकार्य होंगे, लेकिन निधीयन (प्रारंभिक ऋण सुविधा) केवल 5 वर्ष के लिए दी जाएगी और शेष ऋण के लिए विद्यमान या नए ऋणदाताओं द्वारा या बांडों के माध्यम से भी ऋण सुविधा के पुनर्वित्तपोषण की अनुमति दी जाएगी; तथा

iv. इनमें से प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पुनर्वित्त (ऋण सुविधा का पुनर्वित्तीयन) मूल परिशोधन कार्यक्रम के अनुसार यथानिर्धारित कम राशियों का होगा।

2. एनबीएफसी द्वारा बुनियादी संरचना और महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र की दीर्घावधि परियोजनाओं के नई वित्तीयन पर, जैसाकि ऊपर पैरा 1 में सुझाया गया है, आपत्ति नहीं होगी, बशर्तेः

i. केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की बुनियादी संरचना क्षेत्र की सुसंगत मास्टर सूची के अंतर्गत परिभाषित बुनियादी संरचना परियोजनाएं तथा भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आठ महत्वपूर्ण उद्योगों (आधारः 2004-2005) की सूची में शामिल महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र की परियोजनाओं (अर्थात् कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, लौह (मिश्रधातु + अमिश्रधातु), सीमेंट तथा विद्युत – इनमें से कुछ क्षेत्र, जैसे उर्वरक, बिजली उत्पादन, वितरण और संचरण

(ट्रंसमिशन) आदि बुनियादी संरचना उप-क्षेत्रों की सुसंगत मास्टर सूची में भी शामिल हैं) को प्रदत्त मीयादी ऋण ऐसे पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगे;

ii. ऐसी परियोजनाओं के प्रारंभिक मूल्यांकन के समय यह सुनिश्चित करते हुए कि दबावपूर्ण परिदृश्यों में भी ऐसी परियोजनाओं के नकद प्रवाह और अन्य सभी आवश्यक वित्तीय और वित्तेतर मापदंड सुदृढ़ रहते हैं, एनबीएफसी एक परिशोधन कार्यक्रम (मूल परिशोधन कार्यक्रम) निर्धारित कर सकते हैं।

iii. सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत बुनियादी संरचना परियोजनाओं के मामले में परिशोधन सिड्यूल की अवधि प्रारंभिक रियायत अवधि के 80% (अंत का 20% छोड़कर) अथवा गैर-पीपीपी बुनियादी संरचना परियोजनाओं के मामले में उपभोक्ता प्रभार/शुल्क निर्धारित करने के लिए परियोजना मूल्यांकन करते समय कल्पित प्रारंभिक आर्थिक जीवनकाल का 80%, अथवा अन्य महत्वपूर्ण उद्योग परियोजनाओं के मामले में ऋणदाताओं के स्वतंत्र अभियंताओं द्वारा परियोजना मूल्यांकन के समय कल्पित प्रारंभिक आर्थिक जीवन काल का 80% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

iv. प्रारंभिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराने वाली एनबीएफसी मध्यम अवधि, जैसे 5 से 7 वर्ष के लिए ऋण मंजूर कर सकता है। इसमें प्रारंभिक निर्माण काल का ध्यान रखना चाहिए तथा कम से कम वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की तारीख (डीसीसीओ) और राजस्व जुटाने तक की अवधि को भी शामिल करना चाहिए। इस अवधि के अंत में चुकौती (मूल परिशोधन कार्यक्रम के शेष अवशिष्ट भुगतान के बराबर वर्तमान मूल्य) की संरचना एकमुश्त भुगतान के रूप में की जा सकती है, जिसमें यह इरादा पहले से विनिर्दिष्ट किया गया हो कि इसे पुनर्वित्त किया जाएगा। यह चुकौती पुनर्वित्त ऋण सुविधा के रूप में उसी ऋणदाता अथवा नए ऋणदाताओं के समूह अथवा इन दोनों द्वारा संयुक्त रूप से अथवा कॉर्पोरेट बांड जारी करके की जा सकती है तथा परिशोधन अवधि के अंत तक ऐसे पुनर्वित्तीयन को दोहराया जा सकता है।

v. प्रारंभिक ऋण सुविधा का चुकौती कार्यक्रम सामान्यतः मूल परिशोधन कार्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए, बशर्ते डीसीसीओ की अवधि बढ़ाई न गई हो। ऐसे मामलों में 23 जनवरी 2014 का परिपत्र गैबैंपवि.कैंका.नीप्र.सं.367/03.10.01/2013-14 तथा 16 जनवरी 2015 का परिपत्र गैबैंविवि.कैंका.नीप्र.सं.011/03.10.01/2014-15 के परिपत्र में निहित विद्यमान अनुदेशों के अनुसार यदि संशोधित डीसीसीओ की अवधि बुनियादी संरचना और गैर-बुनियादी संरचना के लिए मूल डीसीसीओ की तारीख से क्रमशः दो वर्ष और एक वर्ष के भीतर हो, तो केवल डीसीसीओ की अवधि बढ़ाने के बराबर या

उससे कम अवधि का परिणामी परिवर्तन (संशोधित चुकौती अवधि की शुरुआती और अंतिम तारीख को शामिल करते हुए) भी पुनर्रचना नहीं माना जाएगा, बशर्ते ऋण की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित हों अथवा विलंब की क्षतिपूर्ति के लिए उनमें बढ़ोतरी की गई हो, तथा संपूर्ण परियोजना ऋण परिशोधन को परियोजना के आरंभिक आर्थिक जीवनकाल के 85%[1] के भीतर निर्धारित किया गया हो, जैसाकि ऊपर पैरा 2(iii) में निर्धारित किया गया है;

vi. परियोजना ऋण का परिशोधन कार्यक्रम ऋण की अवधि (डीसीसीओ के बाद) के दौरान एक बार संशोधित किया जा सकता है। यह संशोधन वित्तीय क्लोजर के दौरान लगाए गए अनुमानों की तुलना में परियोजना के वास्तविक कार्य-निष्पादन के आधार पर 'पुनर्रचना' न मानते हुए किया जाएगा, बशर्ते:

ए) परिशोधन कार्यक्रम में परिवर्तन की तारीख को ऋण मानक ऋण होना चाहिए।

बी) परिशोधन कार्यक्रम में परिवर्तन से पहले और बाद में ऋण का निवल वर्तमान मूल्य समान रहता है; तथा

सी) संपूर्ण परियोजना ऋण परिशोधन को परियोजना के आर्थिक जीवन काल के 85%[2] के भीतर निर्धारित किया जाता है, जैसाकि ऊपर पैरा 2(iii) में बताया गया है।

vii. यदि प्रारंभिक ऋण सुविधा या पुनर्वित्त सुविधा किसी भी स्तर पर एनपीए बन जाती है, तो आगे पुनर्वित्त रोक देना चाहिए तथा जब यह एनपीए होता है, तब जो एनबीएफसी ऋण धारण करती है, उससे अपेक्षित है कि वह ऋण को एनपीए माने तथा विद्यमान विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित आवश्यक प्रावधान करे। जब खाता एनपीए स्थिति से बाहर आ जाएगा, तब वह इन अनुदेशों के अनुसार पुनर्वित्त के लिए पात्र होगा;

---

[1] पैरा 8(□□□) में निर्धारित परियोजना ऋणों के परिशोधन की 80% अधिकतम सीमा में डीसीसीओ हासिल करने में विलंब के मामले में प्रारंभिक जीवनकाल के केवल 5% की छूट दी जा सकती है। मूल परिशोधन अवधि निर्धारित करते समय बैंक इस तथ्य पर ध्यान दें।

[2] कृपया उक्त फूट नोट 1 का संदर्भ लें।

viii. एनबीएफसी प्रारंभिक ऋण सुविधा या पुनर्वित्त ऋण सुविधा की मंजूरी के प्रत्येक स्तर पर ऋण के प्रत्येक चरण की जोखिम के अनुरूप ऋण का मूल्य-निर्धारण (ब्याज निर्धारण) कर सकते हैं तथा ऐसा मूल्य उसकी बोर्ड द्वारा अनुमोदित दर के अनुसार होना चाहिए;

ix. एनबीएफसी को उचित प्रलेखीकरण और प्रतिभूति निर्माण आदि के द्वारा अपने हित की रक्षा करनी चाहिए;

x. एनबीएफसी को अपने आस्ति-देयता प्रबंधन के लिए प्रारंभ में ऋणों के आवधिक परिशोधन तथा प्रत्येक पुनर्वित्त अवधि के अंत में बकाया ऋण के एकमुश्त भुगतान से नकद प्रवाह की गणना करने की अनुमति दी जाएगी; तथापि प्राप्त अनुभव के आधार पर बैंकों से अपेक्षित होगा कि वे यथासमय ऐसे ऋणों के परिशोधन के नकद प्रवाहों का व्यवहारवादी अध्ययन करें और तदनुसार उन्हें अपने एएलएम विवरण में रखें;

xi. जोखिम प्रबंधन की दृष्टि से एनबीएफसी को यह मानना चाहिए कि अन्य एनबीएफसी/उधारदाताओं द्वारा ऋण को पुनर्वित्त नहीं करने की संभावना हो सकती है तथा चलनिधि आवश्यकताओं का अनुमान लगाते समय, तथा दबाव परिदृश्यों के लिए इसे ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा, जब तक अन्य एनबीएफसी/उधारदाताओं द्वारा आंशिक या पूर्ण पुनर्वित्तीयन का स्पष्ट निर्धारण नहीं हो जाता, ऐसे पुनर्वित्त के नकद प्रवाहों को चलनिधि अनुपात की गणना के लिए हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए। इसी प्रकार, एक बार प्रतिबद्ध होने के बाद पुनर्वित्त प्रदान करने वाले एनबीएफसी/उधारदाताओं को भी अपने चलनिधि अनुपातों की गणना करते समय ऐसे नकद प्रवाह को हिसाब में लेना चाहिए; तथा

xii. एनबीएफसी के पास ऐसे वित्तीयन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए।

3. इसके अतिरिक्त एनबीएफसी को नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और महत्वपूर्ण उद्योगों के विद्यमान परियोजना ऋणों पर आवधिक पुनर्वित्तीयन के विकल्प के साथ लचीली संरचना की भी अनुमति है:

i) केवल ऐसी परियोजनाओं को मीयादी ऋण, जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र (जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक की इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुसंगत मास्टर सूची में परिभाषित है) तथा महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र (भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आठ महत्वपूर्ण उद्योगों (आधार 2004-05) की सूची में शामिल)के सभी संस्थागत

ऋणदाताओं का समग्र एक्सपोजर 500 करोड़ रुपये से अधिक है,ऐसी लचीली संरचना और पुनर्वित्तीयन के लिए पात्र होंगे;

ii) एनबीएफसी को परियोजना नकद प्रवाह के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर विद्यमान परियोजना ऋणों के लिए वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की तारीख (डीसीसीओ) के बाद परियोजना के जीवन काल में एक बार नया परिशोधन कार्यक्रमनियत कर सकते हैं। इसकोपुनर्रचना नहीं माना जाएगा, बशर्ते:

ए. ऋण परिशोधन कार्यक्रम में परिवर्तन की तारीख को ऋण मानक ऋण है;

बी. ऋण परिशोधन कार्यक्रम में परिवर्तनके पहले और बाद में ऋण का निवल वर्तमान मूल्य समानहै;

सी. सरकारी –निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल की इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के मामले में नया ऋण परिशोधन कार्यक्रम प्रारंभिक छूट अवधि का 85 प्रतिशत (शेष 15 प्रतिशत भाग छोड़ कर); अथवा गैर- पीपीपी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के मामले में प्रयोक्ता प्रभारों/दरों का निर्धारण करने के लिए परियोजना मूल्यांकन करते समय परिकल्पितप्रारंभिक आर्थिक जीवन काल का 85 प्रतिशत अथवा अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजनाओं के मामले में परियोजना मूल्यांकन के समय ऋणदाताओं के स्वतंत्र अभियंताओं द्वारा परिकल्पित प्रारंभिक आर्थिक जीवन काल का 85 प्रतिशत होना चाहिए; तथा

डी. दिनांक 21 मार्च 2014 का अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को सशक्त करने के लिए संरचना के अंतर्गत परियोजना की व्यवहार्यता का बैंक द्वारा पुनर्मूल्यांकन किया गया है तथा इसके लिए गठित स्वतंत्र मूल्यांकन समिति द्वारा जांचा गया है।

iii) यदि किसी परियोजना ऋण को उपर्युक्त पैरा 3(ii) के अनुसार नया ऋण परिशोधन कार्यक्रम नियत करने की तारीख को पुनर्रचित मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, तो नया ऋण परिशोधन कार्यक्रम तय करने की वर्तमान कवायद को पुनर्रचना के दोहराव की घटना नहीं माना जाएगा, फिर भी ऋण का पुनर्रचित मानक आस्ति के रूप में वर्गीकरण जारी रखना चाहिए। ऐसी आस्तियों का उन्नयन नए ऋण परिशोधन कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए खातों की पुनर्रचना पर विद्यनमान विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों द्वारा संचालित किया जाएगा।;

iv) ऊपर उल्लिखित नए ऋण परिशोधन कार्यक्रम में उसके बाद होने वाले कोई परिवर्तन विद्यमान पुनर्रचना मानदंडोंके अधीन होंगे;

v) परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने के बाद एनबीएफसी परियोजना मीयादी ऋणों को आवधिक (जैसे 5 से 7 वर्ष) रूप से पुनर्वित्त प्रदान कर सकते हैं। प्रत्येक पुनर्वित्त अवधि के बाद चुकौती (चुकौतियां)(मूल्य में नए ऋण परिशोधन कार्यक्रम के अनुरूप शेष अवशिष्ट भुगतान के समान) को पुनर्वित्त किए जाने का इरादा पहले से विनिर्दिष्ट करते हुए एकबारगी चुकौती के रूप में संरचित किया जा सकता है। पुनर्वित्तीयन उसी ऋणदाता द्वारा अथवा नए ऋणदाताओं के समूह द्वारा अथवा दोनों के संयोग द्वारा अथवा पुनर्वित्त ऋण सुविधा के रूप में कॉर्पोरेट बांड जारी करके किया जा सकता है, और ऐसा पुनर्वित्तीयन नए ऋण परिशोधन कार्यक्रम के अंत तक दोहराया जा सकता है। पैरा 3 (ii) के अनुसार निवल वर्तमान मूल्य संबंधी प्रावधान परियोजना मीयादी ऋण के आवधिक पुनर्वित्तीयन के समय लागू नहीं होंगे;

vi) यदि परियोजना मीयादी ऋण या पुनर्वित्त ऋण सुविधा किसी भी समय अनर्जक आस्ति बन जाए तो आगे पुनर्वित्त को रोक देना चाहिए। जिस समय ऋण अनर्जक आस्ति बनता है, उस समय उक्त ऋण-धारणकर्ता एनबीएफसी से अपेक्षित है कि ऋण को अनर्जक आस्ति के रूप में मान्यता दे तथा विद्यमान विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित आवश्यक प्रावधान करे। एक बार खाते के अनर्जक आस्ति स्थिति से बाहर आ जाने के बाद उसे इन अनुदेशों के अनुसार पुनर्वित्तीयन के लिए पात्र माना जाएगा;

vii) एनबीएफसी ऋण के प्रत्येक चरण के जोखिम के अनुसार परियोजना ऋण के प्रत्येक चरण पर ऋण का मूल्य निर्धारण कर सकते हैं, तथा ऐसा मूल्य निर्धारण बोर्ड द्वारा अनुमोदित दर के अनुसार होना चाहिए;

viii) एनबीएफसी को उचित प्रलेखीकरण और प्रतिभूति निर्माण आदि के द्वारा अपने हित की रक्षा करनी चाहिए;

ix) एनबीएफसी को अपनी आस्ति देयता प्रबंधन के लिए प्रारंभिक रूप से आवधिक परिशोधन तथा प्रत्येक पुनर्वित्त अवधि के बाद बकाया ऋण के एकबारगी भुगतान को नकद प्रवाह की गणना में शामिल करने की अनुमति दी जाएगी; तथापि होने वाले अनुभव के आधार पर एनबीएफसी से अपेक्षित होगा कि वे यथासमय ऋण के ऐसे परिशोधन के नकद प्रवाहों के व्यवहारों का अध्ययन करें तथा तदनुसार उन्हें अपने आस्ति-देयता प्रबंधन विवरणों में दर्शाएं;

x) एनबीएफसी को जोखिम प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में इस बात को ध्यान में रखना होगा कि यह संभव है कि अन्य उधारदाताओं द्वारा ऋण का पुनर्वित्तीयन नहीं किया जाएगा, तथा चलनिधि आवश्यकताओं तथा दबाव परिदृश्यों का आकलन करते समय इसबात को ध्यान में रखना चाहिए; तथा

xi) ऐसे वित्तपोषण के लिए एनबीएफसी के पास अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए।

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि परियोजना ऋण की लचीली संरचना के उक्त ढांचे के अनुसार एनबीएफसी इन्फ्रास्ट्रक्चर और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के विद्यमान परियोजना ऋणों, जिन्हें 'अनर्जक आस्तियों/एनपीए' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, को दीर्घावधि ऋण परिशोधन उपलब्ध करा सकते हैं। तथापि, ऐसी किसी व्यवस्था को 'पुनर्रचना' माना जाएगा तथा ऐसी आस्तियों को 'अनर्जक आस्तियां' माना जाता रहेगा। ऐसे खातों का उन्नयन केवल तभी किया जा सकता है जब खाते के सभी बकाया ऋण/सुविधाएं 'विनिर्दिष्ट अवधि' (जैसा कि खातों की पुनर्रचना पर विद्यमान विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में परिभाषित किया गया है) के दौरान संतोषजनक रूप से बने रहे हों, अर्थात् उक्त अवधि के दौरान खाता में दी गई सभी सुविधाओं के लिए मूलधन और ब्याज की अदायगी अधायगी की शर्तों के अनुसार हुई हों। तथापि, आवधिक पुनर्वित्त सुविधा की अनुमति केवल तभी दी जाएगी,जब खाता उपर्युक्त पैरा 3(vi) में निर्धारित किए गए अनुसार 'मानक' के रूप में वर्गीकृत हो।

5. यह दोहराया जाता है कि लचीली संरचना और पुनर्वित्त शुरुआत केवल वाणिज्यिक परिचालन होने की तारीख (डीसीसीओ) के बाद ही की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, (23 जनवरी 2014 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि(नीप्र)सं.271/सीजीएम(एनएसवी)-2014 के अनुबंध 4 के पैरा 7.2.2 (iii) की एक शर्त के अनुसार, यथा, "ऋण-स्थगन, यदि कोई हो, सहित पुनर्रचित अग्रिमों की चुकौती अवधि इन्फ्रास्ट्रक्चर अग्रिमों के मामले में 15 वर्ष तथा अन्य अग्रिमों के मामले में 10 वर्ष से अधिक नहीं हो") इस परिपत्र की परिधि के अंतर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा महत्वपूर्ण उद्योग परियोजना के लिए किसी भी ऋण पर पुनर्रचना दिशानिर्देशों के अंतर्गत विशेष आस्ति वर्ग के लाभ लेने के लिए लागू नहीं होंगे।

6. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर इन अनुदेशों की समीक्षा की जाएगी।.

******

भारतीय रिज़र्व बैंक
गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
केन्द्रीय कार्यालय
सेंटर 1, विश्व व्यापार केन्द्र
कफ परेड, कोलाबा
मुंबई 400 005

अधिसूचना सं.गैबैंविवि(नीप्र)004जीएम(एएम)/2015 **19 जनवरी 2015**

भारतीय रिजर्व बैंक , जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए, बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन से 22 फरवरी 2007 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस.193/डीजी(वीएल)-2007 में अंतविष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियां नहीं स्वीकारने या नहीं धारण करने वाली) कंपनियां विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिजर्व बैंक) निदेश 2007 (इसके बाद इसे निदेश कहा जाएगा) को संशोधित करना आवश्यक है. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 (1934 का 2) की धारा 45 ञक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त निदेश को तत्काल प्रभाव से निम्नवत संशोधित करने का निदेश देता है यथा-

1. नया पैराग्राफ 20सी शामिल किया जाना- पैराग्राफ 20बी के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ शामिल किया जाए:

"बुनियादी संरचना क्षेत्र और महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए दीर्घावधि परियोजना ऋणों की लचीली संरचना

20सी. एनबीएफसी द्वारा बुनियादी संरचना क्षेत्र और महत्वपूर्ण उद्योंगों के लिए दीर्घावधि परियोजना ऋण की लचीली संरचना के लिए बैंकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट यथा संशोधित नियमों के अनुसार तथा इसे अनुबंध V में प्रस्तुत किया गया है।"

(ए मंगलागिरी)
प्रभारी महाप्रबंधक

अनुबंध-V

बुनियादी संरचना क्षेत्र और महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए दीर्घावधि परियोजना ऋणों की लचीली संरचना

1. बुनियादी संरचना/महत्वपूर्ण उद्योगों को दीर्घ परिपक्वता, जैसे 25 वर्ष वाले ऋणों को निम्नानुसार संरचित किया जा सकता हैः:

i. परियोजना की मूलभूत व्यवहार्यता सभी अपेक्षित वित्तीय और वित्तेतर मापदंडों के आधार पर स्थापित की जाएगी, विशेषतः ब्याज कवरेज अनुपात (ईबीआईडीटीए/ब्याज का बड़ा भुगतान (payout) जिसमें ऋण चुकाने की क्षमता और ऋण की अवधि के दौरान चुकौती करने के सामर्थ्य का उल्लेख किया गया हो;

ii. ऋण की दीर्घतर परिशोधन अवधि, जैसे 25 वर्ष (परियोजना का लाभप्रद जीवनकाल/रियायती अवधि के भीतर) में परिशोधन (परिशोधन कार्यक्रम) के साथ शेष ऋण का आवधिक पुनर्वित्तीयन (ऋण सुविधा का पुनर्वित्तपोषण), जिसकी अवधि समग्र परिशोधन अवधि के भीतर प्रत्येक पुनर्वित्त के साथ तय की जा सकती है, की अनुमति दी जाएगी;

iii. इसका अर्थ यह होगा कि परियोजना की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करते समय एनबीएफसी को व्यवहार्य परियोजना के रूप में परियोजना को स्वीकार करने की अनुमति दी जाएगी, जहां औसत कर्ज चुकौती कवरेज अनुपात (डीएससीआर) और अन्य वित्तीय और वित्तेतर मापदंड एक लंबी परिशोधन अवधि, जैसे 25 वर्ष (परिशोधन कार्यक्रम) के लिए स्वीकार्य होंगे, लेकिन निधीयन (प्रारंभिक ऋण सुविधा) केवल 5 वर्ष के लिए दी जाएगी और शेष ऋण के लिए विद्यमान या नए ऋणदाताओं द्वारा या बांडों के माध्यम से भी ऋण सुविधा के पुनर्वित्तपोषण की अनुमति दी जाएगी; तथा

iv. इनमें से प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पुनर्वित्त (ऋण सुविधा का पुनर्वित्तीयन) मूल परिशोधन कार्यक्रम के अनुसार यथानिर्धारित कम राशियों का होगा।

2. एनबीएफसी द्वारा बुनियादी संरचना और महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र की दीर्घावधि परियोजनाओं के नई वित्तीयन पर, जैसाकि ऊपर पैरा 1 में सुझाया गया है, आपत्ति नहीं होगी, बशर्तेः

i. केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की बुनियादी संरचना क्षेत्र की सुसंगत मास्टर सूची के अंतर्गत परिभाषित बुनियादी संरचना परियोजनाएं तथा भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आठ महत्वपूर्ण उद्योगों (आधारः 2004-2005) की सूची में शामिल महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र की परियोजनाओं (अर्थात् कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, लौह (मिश्रधातु + अमिश्रधातु), सीमेंट तथा विद्युत – इनमें से कुछ क्षेत्र, जैसे उर्वरक, बिजली उत्पादन, वितरण और संचरण

(ट्रंसमिशन) आदि बुनियादी संरचना उप-क्षेत्रों की सुसंगत मास्टर सूची में भी शामिल हैं) को प्रदत्त मीयादी ऋण ऐसे पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगे;

ii. ऐसी परियोजनाओं के प्रारंभिक मूल्यांकन के समय यह सुनिश्चित करते हुए कि दबावपूर्ण परिदृश्यों में भी ऐसी परियोजनाओं के नकद प्रवाह और अन्य सभी आवश्यक वित्तीय और वित्तेतर मापदंड सुदृढ़ रहते हैं, एनबीएफसी एक परिशोधन कार्यक्रम (मूल परिशोधन कार्यक्रम) निर्धारित कर सकते हैं।

iii. सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत बुनियादी संरचना परियोजनाओं के मामले में परिशोधन सिड्यूल की अवधि प्रारंभिक रियायत अवधि के 80% (अंत का 20% छोड़कर) अथवा गैर-पीपीपी बुनियादी संरचना परियोजनाओं के मामले में उपभोक्ता प्रभार/शुल्क निर्धारित करने के लिए परियोजना मूल्यांकन करते समय कल्पित प्रारंभिक आर्थिक जीवनकाल का 80%, अथवा अन्य महत्वपूर्ण उद्योग परियोजनाओं के मामले में ऋणदाताओं के स्वतंत्र अभियंताओं द्वारा परियोजना मूल्यांकन के समय कल्पित प्रारंभिक आर्थिक जीवन काल का 80% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

iv. प्रारंभिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराने वाली एनबीएफसी मध्यम अवधि, जैसे 5 से 7 वर्ष के लिए ऋण मंजूर कर सकता है। इसमें प्रारंभिक निर्माण काल का ध्यान रखना चाहिए तथा कम से कम वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की तारीख (डीसीसीओ) और राजस्व जुटाने तक की अवधि को भी शामिल करना चाहिए। इस अवधि के अंत में चुकौती (मूल परिशोधन कार्यक्रम के शेष अवशिष्ट भुगतान के बराबर वर्तमान मूल्य) की संरचना एकमुश्त भुगतान के रूप में की जा सकती है, जिसमें यह इरादा पहले से विनिर्दिष्ट किया गया हो कि इसे पुनर्वित्त किया जाएगा। यह चुकौती पुनर्वित्त ऋण सुविधा के रूप में उसी ऋणदाता अथवा नए ऋणदाताओं के समूह अथवा इन दोनों द्वारा संयुक्त रूप से अथवा कॉर्पोरेट बांड जारी करके की जा सकती है तथा परिशोधन अवधि के अंत तक ऐसे पुनर्वित्तीयन को दोहराया जा सकता है।

v. प्रारंभिक ऋण सुविधा का चुकौती कार्यक्रम सामान्यतः मूल परिशोधन कार्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए, बशर्ते डीसीसीओ की अवधि बढ़ाई न गई हो। ऐसे मामलों में 23 जनवरी 2014 का परिपत्र गैबैंपवि.कैंका.नीप्र.सं.367/03.10.01/2013-14 तथा 16 जनवरी 2015 का परिपत्र गैबैंविवि.कैंका.नीप्र.सं.011/03.10.01/2014-15 के परिपत्र में निहित विद्यमान अनुदेशों के अनुसार यदि संशोधित डीसीसीओ की अवधि बुनियादी संरचना और गैर-बुनियादी संरचना के लिए मूल डीसीसीओ की तारीख से क्रमशः दो वर्ष और एक वर्ष के भीतर हो, तो केवल डीसीसीओ की अवधि बढ़ाने के बराबर या

उससे कम अवधि का परिणामी परिवर्तन (संशोधित चुकौती अवधि की शुरुआती और अंतिम तारीख को शामिल करते हुए) भी पुनर्रचना नहीं माना जाएगा, बशर्ते ऋण की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित हों अथवा विलंब की क्षतिपूर्ति के लिए उनमें बढ़ोतरी की गई हो, तथा संपूर्ण परियोजना ऋण परिशोधन को परियोजना के आरंभिक आर्थिक जीवनकाल के 85%[1] के भीतर निर्धारित किया गया हो, जैसाकि ऊपर पैरा 2(iii) में निर्धारित किया गया है;

vi. परियोजना ऋण का परिशोधन कार्यक्रम ऋण की अवधि (डीसीसीओ के बाद) के दौरान एक बार संशोधित किया जा सकता है। यह संशोधन वित्तीय क्लोजर के दौरान लगाए गए अनुमानों की तुलना में परियोजना के वास्तविक कार्य-निष्पादन के आधार पर 'पुनर्रचना' न मानते हुए किया जाएगा, बशर्ते:

ए) परिशोधन कार्यक्रम में परिवर्तन की तारीख को ऋण मानक ऋण होना चाहिए।

बी) परिशोधन कार्यक्रम में परिवर्तन से पहले और बाद में ऋण का निवल वर्तमान मूल्य समान रहता है; तथा

सी) संपूर्ण परियोजना ऋण परिशोधन को परियोजना के आर्थिक जीवन काल के 85%[2] के भीतर निर्धारित किया जाता है, जैसाकि ऊपर पैरा 2(iii) में बताया गया है।

vii. यदि प्रारंभिक ऋण सुविधा या पुनर्वित्त सुविधा किसी भी स्तर पर एनपीए बन जाती है, तो आगे पुनर्वित्त रोक देना चाहिए तथा जब यह एनपीए होता है, तब जो एनबीएफसी ऋण धारण करती है, उससे अपेक्षित है कि वह ऋण को एनपीए माने तथा विद्यमान विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित आवश्यक प्रावधान करे। जब खाता एनपीए स्थिति से बाहर आ जाएगा, तब वह इन अनुदेशों के अनुसार पुनर्विवत्त के लिए पात्र होगा;

---

[1] पैरा 8(□□□) में निर्धारित परियोजना ऋणों के परिशोधन की 80% अधिकतम सीमा में डीसीसीओ हासिल करने में विलंब के मामले में प्रारंभिक जीवनकाल के केवल 5% की छूट दी जा सकती है। मूल परिशोधन अवधि निर्धारित करते समय बैंक इस तथ्य पर ध्यान दें।

[2] कृपया उक्त फूट नोट 1 का संदर्भ लें।

viii. एनबीएफसी प्रारंभिक ऋण सुविधा या पुनर्वित्त ऋण सुविधा की मंजूरी के प्रत्येक स्तर पर ऋण के प्रत्येक चरण की जोखिम के अनुरूप ऋण का मूल्य-निर्धारण (ब्याज निर्धारण) कर सकते हैं तथा ऐसा मूल्य उसकी बोर्ड द्वारा अनुमोदित दर के अनुसार होना चाहिए;

ix. एनबीएफसी को उचित प्रलेखीकरण और प्रतिभूति निर्माण आदि के द्वारा अपने हित की रक्षा करनी चाहिए;

x. एनबीएफसी को अपने आस्ति-देयता प्रबंधन के लिए प्रारंभ में ऋणों के आवधिक परिशोधन तथा प्रत्येक पुनर्वित्त अवधि के अंत में बकाया ऋण के एकमुश्त भुगतान से नकद प्रवाह की गणना करने की अनुमति दी जाएगी; तथापि प्राप्त अनुभव के आधार पर बैंकों से अपेक्षित होगा कि वे यथासमय ऐसे ऋणों के परिशोधन के नकद प्रवाहों का व्यवहारवादी अध्ययन करें और तदनुसार उन्हें अपने एएलएम विवरण में रखें;

xi. जोखिम प्रबंधन की दृष्टि से एनबीएफसी को यह मानना चाहिए कि अन्य एनबीएफसी/उधारदाताओं द्वारा ऋण को पुनर्वित्त नहीं करने की संभावना हो सकती है तथा चलनिधि आवश्यकताओं का अनुमान लगाते समय, तथा दबाव परिदृश्यों के लिए इसे ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा, जब तक अन्य एनबीएफसी/उधारदाताओं द्वारा आंशिक या पूर्ण पुनर्वित्तीयन का स्पष्ट निर्धारण नहीं हो जाता, ऐसे पुनर्वित्त के नकद प्रवाहों को चलनिधि अनुपात की गणना के लिए हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए। इसी प्रकार, एक बार प्रतिबद्ध होने के बाद पुनर्वित्त प्रदान करने वाले एनबीएफसी/उधारदाताओं को भी अपने चलनिधि अनुपातों की गणना करते समय ऐसे नकद प्रवाह को हिसाब में लेना चाहिए; तथा

xii. एनबीएफसी के पास ऐसे वित्तीयन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए।

3. इसके अतिरिक्त एनबीएफसी को नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और महत्वपूर्ण उद्योगों के विद्यमान परियोजना ऋणों पर आवधिक पुनर्वित्तीयन के विकल्प के साथ लचीली संरचना की भी अनुमति है:

i) केवल ऐसी परियोजनाओं को मीयादी ऋण, जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र (जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक की इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुसंगत मास्टर सूची में परिभाषित है) तथा महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र (भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आठ महत्वपूर्ण उद्योगों (आधार 2004-05) की सूची में शामिल)के सभी संस्थागत

ऋणदाताओं का समग्र एक्सपोजर 500 करोड़ रुपये से अधिक है,ऐसी लचीली संरचना और पुनर्वित्तीयन के लिए पात्र होंगे;

ii) एनबीएफसी को परियोजना नकद प्रवाह के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर विद्यमान परियोजना ऋणों के लिए वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की तारीख (डीसीसीओ) के बाद परियोजना के जीवन काल में एक बार नया परिशोधन कार्यक्रमनियत कर सकते हैं। इसकोपुनर्रचना नहीं माना जाएगा, बशर्ते:

ए. ऋण परिशोधन कार्यक्रम में परिवर्तन की तारीख को ऋण मानक ऋण है;

बी. ऋण परिशोधन कार्यक्रम में परिवर्तनके पहले और बाद में ऋण का निवल वर्तमान मूल्य समानहै;

सी. सरकारी –निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल की इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के मामले में नया ऋण परिशोधन कार्यक्रम प्रारंभिक छूट अवधि का 85 प्रतिशत (शेष 15 प्रतिशत भाग छोड़ कर); अथवा गैर- पीपीपी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के मामले में प्रयोक्ता प्रभारों/दरों का निर्धारण करने के लिए परियोजना मूल्यांकन करते समय परिकल्पितप्रारंभिक आर्थिक जीवन काल का 85 प्रतिशत अथवा अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजनाओं के मामले में परियोजना मूल्यांकन के समय ऋणदाताओं के स्वतंत्र अभियंताओं द्वारा परिकल्पित प्रारंभिक आर्थिक जीवन काल का 85 प्रतिशत होना चाहिए; तथा

डी. दिनांक 21 मार्च 2014 का अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को सशक्त करनेके लिए संरचना के अंतर्गत परियोजना की व्यवहार्यता का बैंक द्वारा पुनर्मूल्यांकन किया गया है तथा इसके लिए गठित स्वतंत्र मूल्यांकन समिति द्वारा जांचा गया है।

iii) यदि किसी परियोजना ऋण को उपर्युक्त पैरा 3(ii) के अनुसार नया ऋण परिशोधन कार्यक्रम नियत करने की तारीख को पुनर्रचित मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, तो नया ऋण परिशोधन कार्यक्रम तय करने की वर्तमान कवायद को पुनर्रचना के दोहराव की घटना नहीं माना जाएगा, फिर भी ऋण का पुनर्रचित मानक आस्ति के रूप में वर्गीकरण जारी रखना चाहिए। ऐसी आस्तियों का उन्नयन नए ऋण परिशोधन कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए खातों की पुनर्रचना पर विद्यनमान विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों द्वारा संचालित किया जाएगा।;

iv) ऊपर उल्लिखित नए ऋण परिशोधन कार्यक्रम में उसके बाद होने वाले कोई परिवर्तन विद्यमान पुनर्रचना मानदंडोंके अधीन होंगे;

v) परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने के बाद एनबीएफसी परियोजना मीयादी ऋणों को आवधिक (जैसे 5 से 7 वर्ष) रूप से पुनर्वित्त प्रदान कर सकते हैं। प्रत्येक पुनर्वित्त अवधि के बाद चुकौती (चुकौतियां)(मूल्य में नए ऋण परिशोधन कार्यक्रम के अनुरूप शेष अवशिष्ट भुगतान के समान) को पुनर्वित्त किए जाने का इरादा पहले से विनिर्दिष्ट करते हुए एकबारगी चुकौती के रूप में संरचित किया जा सकता है। पुनर्वित्तीयन उसी ऋणदाता द्वारा अथवा नए ऋणदाताओं के समूह द्वारा अथवा दोनों के संयोग द्वारा अथवा पुनर्वित्त ऋण सुविधा के रूप में कॉर्पोरेट बांड जारी करके किया जा सकता है, और ऐसा पुनर्वित्तीयन नए ऋण परिशोधन कार्यक्रम के अंत तक दोहराया जा सकता है। पैरा 3 (ii) के अनुसार निवल वर्तमान मूल्य संबंधी प्रावधान परियोजना मीयादी ऋण के आवधिक पुनर्वित्तीयन के समय लागू नहीं होंगे;

vi) यदि परियोजना मीयादी ऋण या पुनर्वित्त ऋण सुविधा किसी भी समय अनर्जक आस्ति बन जाए तो आगे पुनर्वित्त को रोक देना चाहिए। जिस समय ऋण अनर्जक आस्ति बनता है, उस समय उक्त ऋण-धारणकर्ता एनबीएफसी से अपेक्षित है कि ऋण को अनर्जक आस्ति के रूप में मान्यता दे तथा विद्यमान विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित आवश्यक प्रावधान करे। एक बार खाते के अनर्जक आस्ति स्थिति से बाहर आ जाने के बाद उसे इन अनुदेशों के अनुसार पुनर्वित्तीयन के लिए पात्र माना जाएगा;

vii) एनबीएफसी ऋण के प्रत्येक चरण के जोखिम के अनुसार परियोजना ऋण के प्रत्येक चरण पर ऋण का मूल्य निर्धारण कर सकते हैं, तथा ऐसा मूल्य निर्धारण बोर्ड द्वारा अनुमोदित दर के अनुसार होना चाहिए;

viii) एनबीएफसी को उचित प्रलेखीकरण और प्रतिभूति निर्माण आदि के द्वारा अपने हित की रक्षा करनी चाहिए;

ix) एनबीएफसी को अपनी आस्ति देयता प्रबंधन के लिए प्रारंभिक रूप से आवधिक परिशोधन तथा प्रत्येक पुनर्वित्त अवधि के बाद बकाया ऋण के एकबारगी भुगतान को नकद प्रवाह की गणना में शामिल करने की अनुमति दी जाएगी; तथापि होने वाले अनुभव के आधार पर एनबीएफसी से अपेक्षित होगा कि वे यथासमय ऋण के ऐसे परिशोधन के नकद प्रवाहों के व्यवहारों का अध्ययन करें तथा तदनुसार उन्हें अपने आस्ति-देयता प्रबंधन विवरणों में दर्शाएं;

x) एनबीएफसी को जोखिम प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में इस बात को ध्यान में रखना होगा कि यह संभव है कि अन्य उधारदाताओं द्वारा ऋण का पुनर्वित्तीयन नहीं किया जाएगा, तथा चलनिधि आवश्यकताओं तथा दबाव परिदृश्यों का आकलन करते समय इसबात को ध्यान में रखना चाहिए; तथा

xi) ऐसे वित्तपोषण के लिए एनबीएफसी के पास अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए।

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि परियोजना ऋण की लचीली संरचना के उक्त ढांचे के अनुसार एनबीएफसी इन्फ्रास्ट्रक्चर और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के विद्यमान परियोजना ऋणों, जिन्हें 'अनर्जक आस्तियों/एनपीए' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, को दीर्घावधि ऋण परिशोधन उपलब्ध करा सकते हैं। तथापि, ऐसी किसी व्यवस्था को 'पुनर्रचना' माना जाएगा तथा ऐसी आस्तियों को 'अनर्जक आस्तियां' माना जाता रहेगा। ऐसे खातों का उन्नयन केवल तभी किया जा सकता है जब खाते के सभी बकाया ऋण/सुविधाएं 'विनिर्दिष्ट अवधि' (जैसा कि खातों की पुनर्रचना पर विद्यमान विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में परिभाषित किया गया है) के दौरान संतोषजनक रूप से बने रहे हों, अर्थात् उक्त अवधि के दौरान खाता में दी गई सभी सुविधाओं के लिए मूलधन और ब्याज की अदायगी अधायगी की शर्तों के अनुसार हुई हों। तथापि, आवधिक पुनर्वित्त सुविधा की अनुमति केवल तभी दी जाएगी,जब खाता उपर्युक्त पैरा 3(vi) में निर्धारित किए गए अनुसार 'मानक' के रूप में वर्गीकृत हो।

5. यह दोहराया जाता है कि लचीली संरचना और पुनर्वित्त शुरुआत केवल वाणिज्यिक परिचालन होने की तारीख (डीसीसीओ) के बाद ही की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, (23 जनवरी 2014 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि(नीप्र)सं.271/सीजीएम(एनएसवी)-2014 के अनुबंध 4 के पैरा 7.2.2 (iii) की एक शर्त के अनुसार, यथा, "ऋण-स्थगन, यदि कोई हो, सहित पुनर्रचित अग्रिमों की चुकौती अवधि इन्फ्रास्ट्रक्चर अग्रिमों के मामले में 15 वर्ष तथा अन्य अग्रिमों के मामले में 10 वर्ष से अधिक नहीं हो") इस परिपत्र की परिधि के अंतर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा महत्वपूर्ण उद्योग परियोजना के लिए किसी भी ऋण पर पुनर्रचना दिशानिर्देशों के अंतर्गत विशेष आस्ति वर्ग के लाभ लेने के लिए लागू नहीं होंगे।

6. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर इन अनुदेशों की समीक्षा की जाएगी।.

******